प्रेस-विज्ञप्ति **17.02.2023**

आज दिनांक 17 फरवरी, 2023 को मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की जी एस टी कमेटी द्वारा डॉ. गौर हरि सिंहानिया कॉन्फ्रेन्स हॉल में सायंकाल 04:000 बजे से "जी.एस.टी. संशोधन बजट 2023 पर एक टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया।

आयोजित टैक्स गोष्ठी के दौरान मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष- श्री अतुल कनोडिया जी ने पूर्व अध्यक्ष, कौंसिल मेंबर, एवं उपस्तिथ सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा बताया कि GST में लगातार संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं। GSTIN पोर्टल की तकनीकी खामियाँ अभी भी सामने आ रहीं हैं। ITC के दावे में अनिश्चितता व्याप्त है। व्यापारी सहज रूप से GST का अनुपालन नहीं कर पा रहा है। यह परेशानियाँ दूर की जानी चाहिए।

टैक्स गोष्ठी के वक्ता सी.ए. संकल्प भल्ला ने विस्तार से संशोधनों की चर्चा करते हुए बताया कि सरकारी विभागों, बैंकों, रजिस्ट्रार आफ कम्पनी एवं अन्य संस्थानों को GST विभाग अपना डाटा साझा करने में सक्षम हो जाएगा। अब समाधान वाले कारोबारी भी अपना माल आपरेटर्स के माध्यम से बिक्री कर सकेंगे। क्रेता द्वारा विक्रेता को 180 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर ITC "फार्म-3बी " रिटर्न में रिवर्स करनी है, अब उस पर ब्याज भी अदा करना होगा। कम्पनी द्वारा "CSR" खर्च हेतु माल की खरीद पर अब ITC अनुमन्य नहीं होगी। GST के रिटर्न फार्म एक, फार्म-3बी, वार्षिक रिटर्न फार्म-9, ई कॉमर्स आपरेटर का रिटर्न फार्म 8 एवं समाधान विवरण 9C अपनी देय तिथि से तीन वर्ष तक ही दाखिल किये जा सकेंगे। इस अवधि के उपरान्त दाखिल नहीं हो सकेंगे।

श्री भल्ला ने बताया कि भारतीय कस्टम सीमा के अन्दर से हाईसीज सेल की बिक्री, कस्टम सीमा के अन्दर रखे हुए माल का निर्यात देश के बाहर कर दिया जाता है, एवं देश के बाहर से की गयी माल की खरीद बिना देश के अन्दर लाये सीधे किसी देश को बिक्री कर दी जाती है, तब ऐसी दशा में इन सभी मामलों में सप्लाई कर मुक्त होगी। किन्तु अब एक जुलाई 2017 के पूर्वगामी प्रभाव से यह संशोधन किये जा रहे हैं, जिससे विवाद समाप्त होंगे तथा करमुक्ति स्पष्ट हो जाएगी। निर्यात के रिफण्ड में GST फार्म - 2बी में दिख रही ITC का ही लाभ मिलेगा। रिफण्ड प्रार्थना पत्र का निस्तारण 60 दिनों में न करने पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज रिफण्ड तिथि तक विभाग को अदा करना होगा। जेल सजा कार्यवाही हेतु टैक्स चोरी धनराशि सीमा में राहत प्रदान करते हुए एक करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ की गयी है। किन्तु फेक इनवायस बिना गुड्स एवं सर्विस आपूर्ति मामले में एक करोड़ पर ही जेल सजा होगी। अधिकारी के कार्य में बाधा पहुँचाना, साक्ष्यों को छेड़ना तथा सूचना न देना अपराध की श्रेणी में अब नहीं होगा।

शंका समाधान सत्र में समस्त शंकाओ का समाधान किया गया। GST टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष- श्री अतुल कनोडिया एवं GST कमेटी के एडवाईजर श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गयी। मंच का संचालन GST कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया।

CA छवि जैन को कौंसिल मेंबर सुधीन्द्र जैन ने ला पेल देकर सम्मानित किया।

GST कमेटी के कोऑर्डिनेटर श्री आशीष बंसल द्वारा मुख्य वक्ता सी.ए. संकल्प भल्ला को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। धन्यवाद GST कमेटी के वाईस चेयरमैन शरद शाह ने व्यक्त किया। टैक्स गोष्ठी के

दौरान श्री आर.के. अग्रवाल, श्री श्याम मेहरोत्रा, श्री टीकम चंद सेठिया, श्री उमेश पांडेय, श्री गुलशन धूपर, श्री आशीष बंसल, श्री दीपक कपूर आदि तथा सचिव- महेंद्र मोदी उपस्थित रहे।

धन्यवाद